न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 71/2019

जी.सी.एम.एस नम्बर : 2019/00227

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोहनसिंह पुत्र नन्देसिंह जाति रावत राजपुत निवासी सिरियारी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत सिरियारी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।
2. सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.5.2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1969 दिनांक 10.05.2018 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा संख्या 1351 पर अपीलाण्ट का सम्वत् 2030 के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलाण्ट आज दिन तक उक्त खसरे का उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिस पर वर्तमान में भी अपीलाण्ट का कब्जा है। जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण के उपरान्त भी अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया। सम्वत् 2033 से 2074 तक अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा व बाडा बना हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त खसरे पर सम्वत् 2033 से 2054 तक मुगफली, बाजरी, मक्की, तिल, मूंग आदि फसले बोई गयी थी। खसरा परिवर्तनशील के अनुसार भी मौके पर अपीलाण्ट का मकान बना हुआ होना जाहिर है। अपीलाण्ट को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही जवाब पेश करने का अवसर तथा न ही साक्ष्य ली गई, रेस्पोडेन्ट द्वारा बाले बाले से जैर अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया गया। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा खसरा संख्या 1351 किस्म गै.मु.गोचर जो चारागाह के लिये आरक्षित थी, की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। चारागाह की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया जा सकता है परन्तु आवास हेतु नियमन नहीं किया जा सकता। जैर अपीलाधीन आराजी अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

नहीं होने से गै.मू.शमशान हेतु आंवटित की गयी थी। साथ ही अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा भी श्मशान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट तथा सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा मूल रेकर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील नामान्तरकरण आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 1351 रकबा 3.9331 गै.मु.गोचर विशिष्टिया चारागाह भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह उज्र उठाया कि जैर अपील आराजी पर सम्वत् 2030 से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त रहा है एवं मौके पर बाडा बना हुआ है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कब्जा काश्त के सम्बन्ध में वर्ष 1996 की नकले पेश की है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वर्तमान में जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है न ही ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिससे यह ज्ञात हो कि प्रश्नगत आराजी पर अपीलाण्ट का बाडा बना हुआ है। जैर अपील नामान्तरकरण की भुमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर है जो कि एक प्रतिबंधित श्रैणी की भुमि है। उक्त जैर नामान्तरकरण तहसीलदार मा.ज. के आदेश क्रमांक राजस्व/18/1442 दिनांक 13.04.2018 व श्रीमान कलेक्टर महोदय पाली के आदेश क्रमांक 12(3)(3) की पालना में गौचर भुमि 3.9331 हैक्टयर भुमि मे से 0.2500 हैक्टेयर भुमि को गैर मुमकिन श्मशान भुमि हेतु आरक्षित की गई है शेष भुमि बदस्तुर रखी गयी है।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के आदेश क्रमांक एफ–10(3)राज–6/2001/7 जयपुर दिनांक 25.04.2011 के अनुसार "चारागाह भुमियों के निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए आवंटन एवं नियमन पर रोक लगायी गयी है, अगर किसी प्रकरण में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भुमि का आवंटन किया जाना अत्यावश्यक हो तो जिला कलक्टर द्वारा कारण अंकित करते हुए अपनी अभिशषां के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जावेगा।" हस्तगत प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है जिसकी पालना में जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो विधिक दृष्टि से सही होने से न्यायोचित है।

साथ ही राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक–4 10(3)राज–6/2001/08 दिनांक 26.07.2017 के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि वह ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/श्मशान भुमि का ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के शामलात

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

उपयोग हेतु सरंक्षित करे एवं अवैध कब्जेधारियों से मुक्त करने हेतु त्वरित कार्यवाही करें एंव मुक्त कराने हेतु राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करे। जैर नामान्तरकरण की किस्म गैर मुमकिन गौचर (चारागाह) है जिसका किसी व्यक्तिगत हित में आवंटन/नियमन कर किस्म परिवर्तन नही किया जा सकता है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण विधिवत एवं नियमानुसार भरा गया है जो यथावत रखा जाना प्रतित होता है।

प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै.मु. गोचर है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा ग्राम सिरीयारी पटवार हल्का सिरीयारी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1969 दिनांक 10.05.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)